

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभाग, बिहार, पटना ।सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- CFMS अंतर्गत विपत्रों के साथ संलग्न किये जानेवाले सब-भाउचर्स की Scanned प्रति संबंधित कोषागार को ऑनलाईन भेजने के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभागीय ज्ञापक-4212 दिनांक-10.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण वित्तीय संव्यवहार को ऑनलाईन करने हेतु दिनांक-01.04.2019 से CFMS को लागू किया गया है । CFMS के अंतर्गत कार्यालय द्वारा तैयार विपत्र ऑनलाईन संबंधित कोषागार में समर्पित किया जाता है तथा विपत्र की भौतिक प्रति कोषागार को नहीं भेजी जा रही है । इस संबंध में प्रासंगिक वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापक-4212 दिनांक-10.05.2019 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किया गया है, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है । दिनांक-17.09.2020 को प्रधान महालेखाकार(ले० एवं ह०) के साथ हुए Entry Conference में भी इस तथ्य को उठाया गया है । पुनः प्रासंगिक पत्र के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

- पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्र के साथ ₹1000/- से अधिक सब-भाउचर्स के स्थान पर ₹5000/- से अधिक राशि के सब-भाउचर्स पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्र के साथ ऑनलाईन कोषागार में प्रेषित किये जायेंगे ।
- प्रत्येक सब-भाउचर्स पर "Paid and Cancelled" एवं "Pass for Rs....." अवश्य लिखा जायेगा ।
- विपत्र के साथ संलग्न सभी सब-भाउचर्स पर CFMS सृजित Bill reference No. को दर्ज किया जायेगा ।
- सहायक अनुदान (Grant in Aid) ए०सी० विपत्र (AC Bill) एवं पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्रों (Fully Vouched Contingent Bills) विपत्रों के साथ निकासी के लिए सक्षम प्राधिकार का आदेश/स्वीकृति/आदेश को संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।
- कार्य विभागों एवं वन विभाग के कार्य के विपत्रों के साथ सब-भाउचर्स, चालू लेखा विपत्र एवं MB को संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

- (vi) अधिकांश मामले में अधिक निकासी की गयी राशि की वापसी के लिए संगत चालान को विपत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में संगत चालान की प्रति विपत्र के साथ अवश्य संलग्न किया जायेगा।
- (vii) Direct Payment Bill में Bank Scroll को अपलोड करना अनिवार्य है।
- (viii) मासिक पेंशन विपत्र के लिए महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार (पेंशन, उपादान आदि) को अपलोड करना अनिवार्य है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

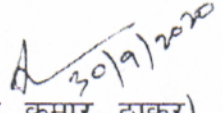
(अजय कुमार ठाकुर),

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- 5084

दिनांक- 30-09-2020

प्रतिलिपि: 5 महालेखाकार(ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/सभी कौषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार ठाकुर),

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।